

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 3854/2026

Roop Narayan S/o Chittar Lal, Aged About 45 Years, R/o Village
Jhali Ji Ka Barana, P.s. Gandoli, District Bundi. (At Present
Confined In District Jail Bundi (Raj.)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Govind Lal Choudhary, Adv.

For Respondent(s) : Ms. Manju Dave, PP with
Mr. Shubham Sain, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

12/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र **बी एन एस एस की धारा 483** के अन्तर्गत पुलिस थाना गेण्डोली जिला बूंदी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-**40/2025** अपराध अन्तर्गत धारा **115(2), 126(2), 110, 189(2), 103(1)** बी एन एस में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पूर्व में महत्वपूर्ण गवाहान के बयान होने के उपरांत नवीन आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ प्रथम जमानत आवेदन वापिस लिया गया था, उसके पश्चात परिवादी सहित मृतक की पत्नी व अन्य महत्वपूर्ण गवाहान के बयान हो चुके हैं, उनके कथनों में विरोधाभास है, मृतक की पत्नी द्वारा प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया गया है कि उसने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, प्रकरण के शेष विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

वर्तमान प्रकरण में परिवादी हरिओम द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसके ताऊ मुकुट बिहारी ने उसके पिता से जमीन संबंधी मामले को लेकर विवाद किया गया था फिर अपनी पुत्री व दामाद रूपनारायण/वर्तमान अभियुक्त को मौके पर बुलाया तथा सभी ने मिलकर मृतक बाबूलाल के साथ मारपीट की। बाबूलाल के सिर पर रूपनारायण द्वारा कुल्हाड़ी की धार की तरफ से घातक चोट पहुंचाई जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी।

यह बात सही है कि कुछ सह अभियुक्तगण की जमानत अन्य समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की गयी है, लेकिन अधिकांश जमानत आवेदन में यह तर्क दिया गया है कि प्राण घातक चोट अभियुक्त रूपनारायण द्वारा कारित की गयी है और उन परिस्थितियों को देखते हुए व रूपनारायण से मामला भिन्न पाते हुए सह अभियुक्तगण को जमानत सुविधा प्रदान की गयी है। अभियुक्त रूपनारायण का मामला सह अभियुक्तगण के समकक्ष व समतुल्य नहीं है। परिवादी हरिओम, उसके भाई विष्णु, माता द्वारिका सभी के द्वारा अभियुक्त द्वारा मृतक के साथ मारपीट करने का कथन किया है। यह बात सही है कि प्रतिपरीक्षा में मृतक की पत्नी द्वारा जमीनी विवाद होने व झूठा मुकदमा दर्ज कराने का कथन किया है, लेकिन किसी भी बयान को अलग अलग खण्डों में पढा जाना उचित नहीं है।

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त गवाहान ने साक्ष्य ही नहीं दी हो, ऐसी स्थिति नहीं है, अपितु विशिष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त/प्रार्थी रूपनारायण द्वारा ही मृतक के सिर पर चोट पहुंचाई गयी है, अन्यथा भी जमानत की स्टेज पर साक्ष्य का सूक्ष्म विवेचन व विश्लेषण उचित व अनुज्ञेय नहीं है। कथित रूप से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी अभियुक्त रूपनारायण से बरामद हुई है। इस प्रकार मामला प्रत्यक्षदर्शी व परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर

आधारित है। अभियुक्त दिनांक 11.05.2025 से अभिरक्षा में है, अतः ऐसी स्थिति में अभिरक्षा की अवधि असाधारण रूप से अथवा अनुचित रूप से अत्यधिक हो गयी हो, ऐसी स्थिति भी नहीं है।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों एवं अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **रूपनारायण पुत्र छित्तर लाल** की ओर से प्रस्तुत यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि अभियुक्त पक्ष की ओर से इस आदेश की प्रति पेश किये जाने की दिनांक से यथासंभव छह माह में संपूर्ण अभियोजन साक्षीगण के बयान लेखबद्ध करते हुए प्रकरण के निस्तारण का प्रयास करे।

छह माह बाद अभियुक्त की ओर से यदि कोई नवीन आवेदन पेश होता है तो तत्समय उपलब्ध सामग्री के अनुसार उस पर नये सिरे से सुनकर विचार किया जावेगा।

(UMA SHANKER VYAS),J